छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक एफ 9–3/2001/1–3 रायपुर, दिनांक 2/06/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की गणना के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.06.2009

अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004–स्था.(आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में आय/सम्पत्ति के निर्धारण के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2/ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ही इस राज्य में भी सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा रूपये 2.00 लाख वार्षिक से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख वार्षिक किया गया है, लेकिन उसमें आय/सम्पत्ति के आँकलन के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस राज्य द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में आय/सम्पत्ति के ऑकलन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न होने के कारण, सम्पन्न वर्ग के निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों एवं पालकों के बीच क्रीमीलेयर के संबंध में भ्रांति व्याप्त है, जिसके कारण राज्य में कई पात्र व्यक्ति शासन द्वारा दिए जा रहे लाभ एवं अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

3/ चूंकि राज्य शासन के संदर्भित परिपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न है, अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के **संदर्भित परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लिखित "संयुक्त रूप से" शब्दों को विलोपित करता है।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 9—3/2001/1—3 रायपुर, दिनांक 2/06/2011

प्रतिलिपि :—

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
04. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिकूट—1 भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली,
05. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
07. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
08. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्री/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
09. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर,
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली,
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
14. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
15. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
16. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर,
17. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर,
18. प्रभारी अधिकारी NIC मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मुकुंद गजभिये)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग